निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़ 1932 (श0)

(सं0 पटना 476) पटना, मंगलवार, 13 जुलाई 2010

स0 सं0 3ए2-वे0पु0-12/2009—7217

वित्त विभाग

संकल्प

5 जुलाई 2010

विषयः—बिहार न्यायायिक सेवा के पदाधिकारियों को न्यायमूर्ति पद्मनाभन समिति की अनुशंसा के क्रम में वेतन पुनरीक्षण के संबंध में ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 1022/89, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश के आलोक में भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी आयोग) का गठन किया गया था ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25 नवम्बर 2002 को पारित आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान वित्त विभाग के संकल्प 1915 वि0 (2), दिनांक 12 मार्च 2003 द्वारा लागू किया गया ।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 अप्रील 2009 के आदेश द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग के प्रतिवेदन (प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग) द्वारा अनुशंसित वेतनमान के पुनरीक्षण हेतु न्यायमूर्ति पद्मनाभन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था । पद्मनाभन समिति द्वारा प्रतिवेदन 17 जुलाई 2009 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समर्पित किया गया ।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04 मई 2010 को पारित आदेश के क्रम में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए पद्नाभन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान लागू करने का विषय सरकार के विचाराधीन था ।

5. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए पद्नाभन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतनमान दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से निम्न रूपेण लागू करने का निर्णय लिया है:-

क्र0 स0	पदनाम	अपुनरीक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान
1.	मुंसिफ (मूल कोटि) (असैनिक न्यायाधीश कनीय वर्ग) प्रवेश बिन्दु	9000-14550	27700-770-33090-920-40450-1080-44770
2.	असैनिक न्यायाधीश कनीय वर्ग, प्रथम ए0सी0पी0	10750-14900	33090-920-40450-1080-45850
3.	असैनिक न्यायाधीश कनीय वर्ग, द्वितीय ए0सी0पी0	12850-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010
4.	असैनिक न्यायाधीश वरीय वर्ग (प्रवेश बिन्दु)	12850-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010
5.	असैनिक न्यायाधीश वरीय वर्ग, प्रथम ए0सी0पी0	14200-18350	43690-1080-49090-1230-56470
6.	असैनिक न्यायाधीश वरीय वर्ग, द्वितीय ए0सी0पी0	16750-20500	51550-1230-58930-1380-63070
7	जिला न्यायाधीश प्रवेश बिन्दु	16750-20500	51550-1230-58930-1380-63070
8.	जिला न्यायाधीश प्रवर कोटि	18750-22850	57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290
9.	जिला न्यायाधीश अधिकाल वेतनमान	22850-24850	70290-1540-76450

6. पुनरीक्षित वेतनमान का मास्टर वेतनमान निम्नांकित है:-

27700-770-33090-920-40450-1080-49090-1230-58930-1380-67210-1540-76450

अपुनरीक्षित वेतनमान के विभिन्न स्टेज तथा वेतनवृद्धि का पुनरीक्षित वेतनमान में सुसंगत स्टेज तथा वेतनवृद्धि निम्नांकित हैं :-

क्र0 सं0	अपुनरीक्षित वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनमान	
	वेतन	वेतनवृद्धि	वेतन	वेतनवृद्धि
1	9,000	250	27,700	770
2.	9,250	250	28,470	770
3.	9,500	250	29,240	770
4.	9,750	250	30,010	770
5.	10,000	250	30,780	770
6.	10,250	250	31,550	770
7.	10,500	250	32,320	770
8.	10,750	300	33,090	920
9.	11,050	300	34,010	920
10.	11,350	300	34,930	920
11.	11,650	300	35,850	920
12.	11,950	300	36,770	920
13.	12,250	300	37,690	920
14.	12,550	300	38,610	920
15.	12,850	300	39,530	920
16.	13,150	350	40,450	1080
17.	13,500	350	41,530	1080
18.	13,850	350	42,610	1080
19.	14,200	350	43,690	1080
20.	14,550	350	44,770	1080

क्र0 सं0	अपुनरीक्षित वेतनमान		पुनरीक्षित वेतनमान	
	वेतन	वेतनवृद्धि	वेतन	वेतनवृद्धि
21.	14,900	350	45,850	1080
22.	15,250	350	46,930	1080
23.	15,600	350	48,010	1080
24.	15,950	400	49,090	1230
25.	16,350	400	50,320	1230
26.	16,750	400	51,550	1230
27.	17,150	400	52,780	1230
28.	17,550	400	54,010	1230
29.	17,950	400	55,240	1230
30.	18,350	400	56,470	1230
31.	18,750	400	57,700	1230
32.	19,150	450	58,930	1380
33.	19,600	450	60,310	1380
34.	20,050	450	61,690	1380
35.	20,500	450	63,070	1380
36.	20,950	450	64,450	1380
37.	21,400	450	65,830	1380
38.	21,850	500	67,210	1540
39.	22,350	500	68750	1540
40.	22,850	500	70,290	1540
41.	23,350	500	71,830	1540
42.	23,850	500	73,370	1540
43.	24,350	500	74,910	1540
44.	24,850		76,450	

7. न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के परिलब्धियों की गणना पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए निम्नरूपेण की जाएगीः-

(क) 01 जनवरी 2006 को न्यायिक पदाधिकारियों को प्राप्त वेतन का पुनरीक्षण एवं निर्धारण उपर्युक्त अंकित मास्टर वेतनमान के 1 से 44 स्तर में निर्धारित होगा । फिटमेंट या वेतन निर्धारण में कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि या अतिरिक्त वेतन पुनर्निधारण का लाभ पुनरीक्षित वेतनमान में देय नहीं होगा ।

(ख) ऐसे न्यायिक पदाधिकारी जिनका वेतन पुनरीक्षित वेतनमान में 01 जनवरी 2006 को पुनरनिर्धारित किया गया है को पुनरीक्षित वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि की तिथि वही होगी जो उनके अपुनरीक्षित वेतनमान में थी ।

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ वास्तविक रूप से 01 जनवरी 2006 से दिया जाना है ।

आदेश निर्गत होने की तिथि के संबंधित माह से पुनरीक्षित वेतन का लाभ इन न्यायिक पदाधिकारियों को दिया जा सकेगा ।

जहाँ तक 01 जनवरी 2006 से बकाये वेतन तथा जीवनयापन भत्ता के भुगतान का प्रश्न है बकाये राशि का 40 प्रतिशत चालू वित्तीय वर्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार संबंधित न्यायिक पदाधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अगली तीन वर्षो के बाद की जा सकेगी । शेष 60 प्रतिशत राशि में से आधी राशि का नकद भुगतान वित्तीय वर्ष 2011-12 में एवं शेष आधी राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012-13 में किया जायेगा ।

वैसे न्यायिक पदाधिकारी जो नयी अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है, उनकी कुल बकाया राशि का 40 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना संभव नहीं है इस राशि को वर्ष 2013-14 में उन्हें नकद भुगतान किया जायेगा । शेष 60% की आधी राशि 2011-12 तथा आधी राशि 2012-13 में भुगतेय होगा ।

(घ) पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन वैसे सभी पदाधिकारियों को मान्य होगा जो दिनांक 01/01/2006 को सेवा में थे अथवा 01 जनवरी 2006 या उसके बाद नियुक्त हुए हों, परन्तु वैसे पदाधिकारी जो 01 जनवरी 2006 को निलंबित या छुट्टी पर थे या कर्त्तव्य पर नहीं थे उन पर पुनरीक्षित वेतनमान कर्त्तव्य पर आने की तिथि से प्रभावी होगा ।

8. 01 जनवरी 2006 को या उसके बाद नियुक्त न्यायिक पदाधिकारी वैचारिक रूप से पुनरीक्षित वेतनमान में नियुक्त माने जाएंगे परन्तु आर्थिक लाभ उपर्युक्त कंडिका में वर्णित शर्त्तों के अधीन होगा ।

9. पुनरीक्षित वेतनमान में समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता के दर का भुगतान किया जायेगा । 01 जनवरी 2006 के बाद से समय-समय पर स्वीकृत महँगाई भत्ता की दर से संबंधित विवरणी (अनुलग्नक-**I**) में अंकित किया गया है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन मोहन प्रसाद,
विशेष सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 476-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in